

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥


संख्या-14/निजी-1316/2025-<sup>1349</sup>...../सा०प्र०, पटना-15, दिनांक: 19/01/2025

श्री रवि कुमार, बि०प्र०से० (को०क्र०-291/24), संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास, विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 08.12.2025 से 22.12.2025 तक की कुल 15 (पन्द्रह) दिनों की उपभोगित छुट्टी को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत 'उपार्जित छुट्टी' के रूप में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-47(23), दिनांक-06.01.2026 द्वारा निर्गत छुट्टी आदेयता प्रतिवेदन के अनुसार श्री कुमार के पक्ष में कुल 285 दिनों की उपार्जित छुट्टी एवं 420 दिनों की अर्ध-वैतनिक छुट्टी देय है।

3. श्री रवि कुमार को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-5632, दिनांक-26.06.2015 की कंडिका-(iii) के आलोक में उक्त छुट्टी से लौटने के उपरान्त वेतन पूर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-14/निजी-1316/2025-<sup>1349</sup>...../सा०प्र०, पटना-15, दिनांक: 19/01/2025

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई०टी०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास, विभाग, बिहार, पटना / श्री रवि कुमार, बि०प्र०से०, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास, विभाग, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक (I.T.), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित कोषांगार पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-29 (बि०प्र०से० चारित्री कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के उप सचिव

**बिहार सरकार**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**

**--: अधिसूचना :-**

संख्या-14/निजी-15/2021- पटना-15, दिनांक- /01/2026  
/सा0प्र0-श्री भानु प्रकाश, बि0प्र0से0,  
को0क्र0-26/24, अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता  
के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-09.02.2026 से दिनांक-27.02.2026 तक  
कुल-19 दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना के ज्ञापांक-LR:050820250300430,  
दिनांक-शून्य द्वारा निर्गत छुट्टी आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में श्री भानु प्रकाश,  
बि0प्र0से0, को0क्र0-26/24, अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को उक्त  
छुट्टी की स्वीकृति के उपरान्त कुल-281-19=262 दिनों की उपार्जित छुट्टी आदेय होगी।

3. श्री भानु प्रकाश, बि0प्र0से0 को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र  
संख्या-5632, दिनांक-26.06.2015 की कंडिक-8(iii) के आलोक में उक्त छुट्टी से लौटने  
के उपरांत वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन  
महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-14/निजी-15/2021- 1357 /सा0प्र0 पटना-15, दिनांक-19/01/2026  
प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार  
राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम  
से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0)  
विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/श्री भानु प्रकाश,  
बि0प्र0से0, को0क्र0-26/24, अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक,  
आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने  
हेतु)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-29 (चारित्री कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ  
प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥


पटना-15, दिनांक- 19.01.26

संख्या-12/निजी-70114/2023 सा0प्र0- 1390 /श्रीमती इति चतुर्वेदी, बि0प्र0से0 (को0 क्र0-667/24), भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरेराज, पूर्वी चम्पारण को उनके प्रथम संतान के देखभाल हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम-220A के तहत दिनांक-15.12.2025 से दिनांक-15.02.2026 तक कुल-63 दिनों की शिशु-देखभाल छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उर्पयुक्त शिशु-देखभाल छुट्टी की स्वीकृति के उपरान्त श्रीमती इति चतुर्वेदी, बि0प्र0से0 को कुल-667 दिनों की शिशु-देखभाल छुट्टी आदेय होगी।

3. श्रीमती इति चतुर्वेदी, बि0प्र0से0 को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र सं0-5632, दिनांक-26.06.2015 की कंडिका-8(iii) के आलोक में उक्त छुट्टी से लौटने के उपरान्त वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-12/निजी-70114/2023 सा0प्र0- 1390 /पटना, दिनांक- 19.01.26

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/श्रीमती इति चतुर्वेदी, बि0प्र0से0 (को0 क्र0-667/24), भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरेराज, पूर्वी चम्पारण/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 19/01/2026  
संख्या-12/निजी-70078/2023 सा0प्र0- 1391 /श्री नलिन प्रताप राणा, बि0प्र0से0  
(को0क्र0-637/24), विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को उनके  
द्वितीय संतान के जन्म के उपरांत वित्त विभागीय परिपत्र सं0-9889, दिनांक-01.12.2015 के  
आलोक में दिनांक-12.01.2026 से दिनांक-26.01.2026 तक कुल-15 (पन्द्रह) दिनों की पितृत्व  
अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-12/निजी-70078/2023 सा0प्र0- 1391 /पटना, दिनांक- 19/01/2026

**प्रतिलिपि:-** प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को  
(आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण  
अंक में प्रकाशनार्थ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार,  
पटना/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/  
श्री नलिन प्रताप राणा, बि0प्र0से0 (को0क्र0-637/24), विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास  
विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय  
वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥


पटना-15, दिनांक-19.01.26

संख्या-12/निजी-70431/2023 सा0प्र0- 1407 /श्रीमती सदफ आलम, बि0प्र0से0  
(को0क्र0-951/24), वरीय उप समाहर्ता, सारण, छपरा को उनके प्रथम संतान की देखभाल हेतु  
बिहार सेवा संहिता के नियम-220A के तहत दिनांक-11.12.2025 से दिनांक-12.06.2026 तक  
कुल-184 (एक सौ चौरासी) दिनों की शिशु देखभाल छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त छुट्टी के उपभोग के उपरांत श्रीमती आलम के पक्ष में 730-184=546 (पांच सौ  
छियालीस) दिनों की शिशु-देखभाल छुट्टी आदेय होगी।


3. श्रीमती आलम को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र सं0-5632,  
दिनांक-10.12.2015 की कंडिका-8 (iii) के आलोक में उक्त छुट्टी से लौटने संबंधी वेतन पुर्जा  
निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग,  
बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(राजीव रंजन दास)  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-12/निजी-70431/2023 सा0प्र0- 1407 /पटना, दिनांक-19.01.26

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को  
(आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण  
अंक में प्रकाशनार्थ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार,  
पटना/जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा को उनके पत्रांक-1782/स्था0, दिनांक-01.12.2025 के  
प्रसंग में/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्रीमती सदफ आलम, बि0प्र0से0 (को0क्र0-951/24),  
वरीय उप समाहर्ता, सारण, छपरा/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना  
(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के उप सचिव।